न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
07/2025	01/01/2025	18/11/2025

1. कैलाश पुत्र रामसहाय
2. गजानन्द पुत्र रामसहाय
3. प्रभाती पत्नि शिवदयाल
4. मुकेश कुमार पुत्र शिवदयाल
5. रामचरण पुत्र शिवदयाल

समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम नायला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. महेन्द्र कुमार पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति जैन निवासी प्लाट सी–58 बजाज नगर जयपुर।
2. ऋचा पत्नि सुमित जाति जैन निवासी 2/240 जवाहर नगर जयपुर।
3. कुंजन पुत्र बाबूलाल जाति जैन निवासी सी–17 मुखर्जी कॉलोनी शास्त्रीनगर जयपुर।
4. चन्दा देवी पत्नि रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी प्लाट नं0 15 विजयपुरा आगरा रोड जयपुर।
5. तृप्ता पत्नि महेन्द्र कुमार जाति जैन निवासी प्लाट नं0 सी–58 बजाज नगर जयपुर।
6. नर्बदा पत्नि गोपाल लाल जाति ब्राहमण निवासी प्लाट नं0 15 विजयपुरा आगरा रोड जयपुर।
7. पार्वती पत्नि रामकिशन जाति ब्राहमण निवासी प्लाट नं0 15 विजयपुरा आगरा रोड, जयपुर।
8. मनिषा पत्नि सुरेन्द्र जाति जैन निवासी पी0एन0 सी0 58 बजाज नगर जयपुर।
9. रामपति पत्नि रामकिशोर जाति ब्राहमण निवासी प्लाट नं0 15 विजयपुरा आगरा रोउ जयपुर।
10. सन्तोष पत्नि राजेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी प्लाट नं0 15 विजयपुरा आगरा रोड जयपुर।
11. सुनिता पत्नि विनोद कुमार जाति ब्राहमण निवासी प्लाट नं0 15 विजयपुरा आगरा रोड जयपुर।
12. सुमित पुत्र सुभाष जाति जैन निवासी 2/240 जवाहर नगर जयपुर।
13. सुरेन्द्र पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति जैन निवासी सी–58 बजाज नगर जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
श्री राजेश कुमार पारिक :– वकील वादी।
श्री लल्लू प्रसाद गुर्जर :– वकील प्रतिवादी सं0 1, 2, 13

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादी की ओर से एड0 श्री राजेश कुमार पारीक ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 275 रकबा 0.4047है0, खसरा नम्बर 282 रकबा 0.7461है0 स्थित ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। जो कि उक्त भूमि वादीगण की रिकार्डेड खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। प्रतिवादीगण की भूमि वादीगण की भूमि के लगवा भूमि है जो कि खसरा नम्बर 272 आरैर 272/1 है। प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 272 और वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 275 की सीमाओ में प्रवेश का और उस पर कब्जा करने का प्रयास करते है इसी प्रकार खसरा नम्बर 272/1 प्रतिवादीगण की भूमि से लगवा वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 282 है जिस पर भी जबरन कब्जा करने का प्रयास प्रतिवादीगण करते रहे है। प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 275, 282 से नही है परन्तु प्रतिवादीगण पैसा और राजनैतिक पहुच के कारण वादीगण को धमकाते रहते है और मारपीट करने तथा जबरन कब्जा करने की धमकी देकर वादीगण की भूमियों को सस्ते दामों में खरीदने के लिये आये दिन वादीगण को हैरान परेशान करते है और प्रतिवादीगण के प्रतिनिधि आकर वादीगण को यह धमकीया देते है कि यदि तुम यह भूमि हमको बैचान नही करोगे तो हम जबरन इस पर कब्जा कर लेगे और हम लोगों के पास ना तो पैसो की कोई कमी है और ना ही पहुच की कोई कमी है। वादीगण की उक्त भूमियों पर कब्जा करने की नियत से पुख्ता निर्माण कर अतिक्रमण करने की मंशा से वादीगण को आये दिन धमकीय देते है तथा हैरान व परेशान करके वादीगण की उक्त खातेदारी भूमियों में दखल उत्पन्न करते है जिसका प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार नही है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को प्रतिबंधित किया जावें कि वह वादीगण की उक्त वादांकित भूमि खसरा नम्बर 275 रकबा 0.4047है0, खसरा नम्बर 282 रकबा 0.7461है0 स्थित ग्राम नायला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में किसी प्रकार का अवैध कब्जा नही करे, किसी प्रकार का अतिक्रमण नही करे, और ना ही किसी प्रकार से तामीरात का निर्माण करे तथा किसी प्रकार से वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करें। वादीगण को वादीगण के कब्जे से बेदखल करने का प्रयाद नही करें। किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करे, वादीगण की भूमि की सीमाओं में प्रवेश नही करें, उक्त प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादि से करवाये। दौराने दावा प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का निर्माण कर लिया जावें अथवा कब्जा कर लिया जावें तो उसे प्रतिवादीगण के खर्चे से हटवाया जावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1, 2, 13 की ओर से एडवोकेट श्री लल्लू प्रसाद गुर्जर उपस्थित तथा वकालतनामा पेश किया। जो शामिल मिसल है। शेष प्रतिवादीगण को तलबी जरिये रजि0 ए0डी0 से करवाये जाने की समग्र सूचना होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। इन प्रतिवादीगणों को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया लेकिन उपस्थित नही। अतः प्रतिवादी सं0 3 लगायत 12 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रतिवादी सं0 1, 2, 13 ने जवाब किया। जो शामिल पत्रावली है। वकील प्रतिवादी ने उक्त जवाब मे निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण की भूमि लगवा स्थित है तथा प्रतिवादीगण अपनी भूमि पर काबिज काश्त है तथा प्रतिवादीगण द्वारा अपनी भूमि खसरा नम्बर 272 की पूर्व मे सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवा चुके है तथा अपनी भूमि चारों ओर पूर्व से पुख्ता बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया हुआ है जिसके बावजूद वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद मे पक्षकार बनाकर पाबन्द करवाया है जो कि प्रतिवादीगण के अधिकारों के विरूद्व एवं शून्य है। प्रतिवादीगण ने कभी भी वादीगण को उसकी भूमि को लेकर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नही किया और ना ही वादीगण की भूमियों पर कब्जा करने का कोई प्रयास किया है। प्रस्तुत वाद मिथ्या एवं झुठे तथ्यो के आधर पर पेश किया गया है। दिनांक 15.12.2024 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के साथ किसी प्रकार से कोई वाद विवाद एवं लडाई झगडा नही किया है और ना ही वादीगण की भूमियों पर किसी प्रकार का कोई कब्जा करने का प्रयास किया गया है। बल्कि वादीगण ही प्रतिवादीगण को हैरान परेशान करने हेतु उक्त वाद में प्रतिवादीगण को पक्षकार वाद बनाकर वाद पेश किया है। क्योकि बिना किसी अधिकार के वादीगण को प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाने का कोई विधिक अधिकार नही है तथा प्रतिवादीगण ने कभी भी वादीगण की भूमियों में प्रवेश करने का प्रयास नही किया है। अतः वादीगण का वाद इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावें।

अतः वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः बहस का मनन करने व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाकै ग्राम नायला, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में कृषि भूमि ासरा नम्बर 275 रकबा 0.4047है0, खसरा नम्बर 282 रकबा 0.7461है0 में किसी प्रकार का अवैध कब्जा नही करे, किसी प्रकार का अतिक्रमण नही करे, और ना ही किसी प्रकार से तामीरात का निर्माण करे तथा किसी प्रकार से वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करें। वादीगण को वादीगण के कब्जे से बेदखल करने का प्रयाद नही करें। किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करे, वादीगण की भूमि की सीमाओं में प्रवेश नही करें, उक्त प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादि से करवाये। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 18/11/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

फर्द अहकाम

कैलाश बनाम महेन्द्र

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जयपुर

केस संख्या 07/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	06/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रतिवादी ने जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया। पत्रावली दिनांक 17/11/25 को पेश हो।	
	17/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 18/11/25 को पेश हो।	
	18/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश से विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथा बहस का मनन किया गया। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है। तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से बाद हो तथा बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो।	